"धनगड़" जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति समुदाय की सूची में सम्मिलित किया जाना

*2. **श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में धनगड़ कम्युनिटी समुदाय को अभी तक अनुसूचित जनजाति समुदाय के रूप में घोषित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) "धनगर" समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में नए समुदायों को शामिल करने के संबंध में प्राप्त सभी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। संविधान के अनुच्छेद 341 (2) तथा 342 (2) में निहित उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की विद्यमान सूचियों में कोई भी संशोधन केवल संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : मान्यवर, पहले तो इस सूची को दुरुस्त किया जाय, यह मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। माननीय मंत्री जी ने अंग्रेजी में तो धनगड़ को धनगर ठीक कहा है, लेकिन हिन्दी में लिखते हुए "धांगर" बना दिया है। पता नहीं इस जाति के साथ यह अन्याय 35 साल से सरकार लगातार क्यों करती आ रही है। कम से कम इस सरकार को तो यह नहीं करना चाहिए और दुरुस्त करना चाहिए।

श्री सभापति : वे उस पर विचार कर रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : पहले इनको दुरुस्त कर लें और जो यह स्पेलिंग मिस्टेक की है, प्रश्न में जो छापा है, इसको दुरुस्त कर लें।

श्री सभापति : यह टाइपिंग एरर है।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : वे इसको मान लें तो मैं अपना प्रश्न पूछूं।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, दिक्कत यह है कि वहां दो शब्द हैं। एक धांगर है। धांगर आलरेडी अनुसूचित जातियों की श्रेणी में है। धनगर...

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : मान्यवर यहां जो छपा है उसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि यहां एक जगह स्पेलिंग 'Dhangar' दिखाई है जब कि मैंने खुद हिन्दी में जो सवाल पूछा है उसमें धनगर समाज के बारे में पूछा था। उसको आपने धांगर बना दिया।

श्री राम विलास पासवान : हम इसको धनगर मानकर चल रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कल्याण मंत्री जी से जो उत्तर दिया है, मुझे खेद है कि इतना गोलमोल उत्तर मैं अपने राजकीय जीवन में पहली बार पढ़ रही हूं। मान्यवर, कल ही शैड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन बढ़ाने के समय सामाजिक समता और समानता की बात माननीय कल्याण मंत्री जी ने कही थी। इसको अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और किस जाति को 1950 से न्याय नहीं दिया जा रहा है, उनको न्याय देने की बात जब इनके सामने आई तो 12 घंटे के अंदर ही माननीय कल्याण मंत्री की भाषा इतनी गोलमोल हो गई। मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी नीति पर स्पष्ट नहीं है। सरकार अपनी कही हुई बातों पर अपने मत को स्पष्टता व्यक्त नहीं करना चाहती। यह मेरे लिये बड़े खेद का कारण है।

अब मैं असली सवाल पर आती हूं। मान्यवर, ...(व्यवधान).. जो सवाल मैंने पूछा है और जो उसका जवाब आया है उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं। आप मुझे असली सवाल से हटा नहीं सकते। भारत के संविधान के जिस कलम का उल्लेख सरकार ने अपने उत्तर में किया है उसके बारे में मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि भारतीय संविधान की कलम 241 और 242 के अनुसार राष्ट्रपति जी ने अपने खास अधिकारों के तहत 1953 में प्रसिद्ध गांधीवादी श्री काका साहेब कालेलकर जी की अध्यक्षता में जो प्रथम बैकवर्ड क्लास कमीशन नियुक्त किया था, उस आयोग ने अपना अवार्ड 1955 में दे दिया था। उस आयोग को अनुसूचित जाति और जनजातियों की लिस्ट दुरुस्त करने का कार्य दिया गया था। इसके तहत उस समिति ने 837 जातियों और जनजातियों को सर्वाधिक पिछड़ा हुआ बताया था और इन 837 जातियों और जन-जातियों का समावेश अनुसूचित जाति या जमात में करने की सिफारिश काका साहेब कालेलकर कमीशन ने की थी। इन सिफारिशों के तहत जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके..

श्री सभापति : इतना लंबा सप्लीमेंटरी नहीं। आप प्रश्न कीजिये।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : मैं प्रश्न के करीब हूं। मान्यवर, मेरा सवाल यह है, मुझे आप मेरे सवाल से मत हटाइये।

श्री सभापति : मैं हटा नहीं रहा हूं। आप गलत बात कर रही हैं। मैं इतने लंबे सप्लीमेंटरी की इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : अगर आयोग और संसद द्वारा नियुक्त समितियों पर भरोसा करने वाली यह सरकार है तो सरकार ने श्री काका साहेब कालेलकर समिति की सिफारिशों को क्यों नहीं माना? अगर नहीं माना तो आप कब मानने वाले हैं। आपका जो स्वैया है... (व्यवधान)...बात सरकार की नहीं है। बात, किस सरकार ने क्या किया यह नहीं है। मुझे मेरे सवाल से मत हटाइये। किस सरकार ने क्या किया यह मेरा सवाल नहीं है। यह सरकार जो आपकी सरकार है वह मंडल आयोग को मानने वाली सरकार है तो मैं जानना चाहती हूं कि सरकार इस धनगर और धनगड़ की जो स्पेलिंग मिस्टेक है उसको दुरुस्त करना चाहती है या नहीं? अगर नहीं चाहती है तो क्यों?

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, जहां तक काका साहेब कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है या मंडल कमीशन की रिपोर्ट का सवाल है, इसका यहां कोई प्रश्न है ही नहीं। उस समय इनकी सरकार थी और उस सरकार ने इसको लागू नहीं किया। जहां तक मंडल कमीशन का प्रश्न है उसकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। जो उन्होंने नीति के सवाल किया है तो सरकार की यह नीति है सरकार अपनी नीति के मुताबिक चलती है। पहली बार जब कोई जाति अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट में सम्मिलित किया जाता है तो प्रेसिडेंसियल आर्डर से यह होता है। लेकिन एक बार जब वह लिस्ट में सम्मिलित हो जाती है तो फिर उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। महाराष्ट्र में आलरेडी एक लिस्ट बन चुकी है और दोबारा यदि कोई इनक्लूजन होगा तो उसके लिए संशोधन करना पड़ेगा। जो नियम है उस नियम के मुताबिक यह है। जो कमेटी बनाई गई थी कम्प्रेहेंसिव रिविजन आफ लिस्ट तैयार करने के लिए उसके मुताबिक कुछ लिस्टें तैयार की गई थी। उसके लिए ग्रुप आफ मिनिस्टर्ज की बैठक हुई थी उस बैठक के बाद उसने राज्य सरकार के एस.सी., एस. टी. अधिकारी खास कर के सेक्रेटरीज को बुला कर बातचीत की थी और बातचीत करने के बाद उन्होंने एक नोट तैयार किया था जिसको केबीनेट को भेजा गया था। केबीनेट ने उस पर कोई विचार नहीं किया। केबीनेट ने उसे लौटा दिया। अब हमारी सरकार बनी है हम उस पर नये सिरे से विचार करेंगे।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : मेरा बड़ा स्पेसीफिक सवाल था।

श्री सभापति : सेकेंड सप्लीमेंटरी प्लीज़ (**व्यवधान**) जो मैं कहूंगा वह चलेगा (**व्यवधान**)

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : नहीं, नहीं, मेरा बड़ा स्पेसेफिक सवाल था उसका उत्तर नहीं दिया गया। वह सवाल यह है कि धनगर को धांगर, उड़ीसा को उरीसा जिस तरह से बनाते हैं मेरा प्रश्न यह है कि... (**व्यवधान**)

श्री सभापति : : मैं आपको बताऊ आपका प्रश्न अंग्रेजी में या अब आप हिन्दी में प्रश्न कर रही हैं (**व्यवधान**)

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : मैंने बड़ा स्पेसेफिक प्रश्न पूछा था अपने सवाल में इस सरकार से और आप धनगर को धांगर बना रहे हैं (**व्यवधान**) आप मुझे मेरे सवाल से मत हटाइये (**व्यवधान**) आप से नहीं पूछा गया है। आप मुझ को अपने अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं यह समझ लीजिए (**व्यवधान**) मान्यवर, मेरा यह स्पेसेफिक सवाल है इस चीज़ को आप धनगर से धांगर स्पेलिंग मिस्टक की बात मान रहे हैं, यह नया इनवेलूड करने की बात कर रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री सभापति : आपका सवाल अंग्रेजी में है। (**व्यवधान**) इसको पढ़ने में जिस तरह से लिखा है अगर उन्होंने पढ़ा तो कोई गलती नहीं की है।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : मान्यवर, इस तरह से आप मुझको अपने अधिकारों से वंचित मत कीजिए।

श्री सभापति : श्री आनन्द प्रकाश गौतम (**व्यवधान**)

No. Her question is meaningless. I rule it out.

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटील : इस तरह से अगर रवैया है (**व्यवधान**) मैं सरकार का निषेध करती हूं (**व्यवधान**) और वाक आउट करती हूं (**व्यवधान**) इस जनजाति के साथ सरकार अन्याय कर रही है (**व्यवधान**) इसलिए मैं यहां से वाक आऊट करती हूं (**व्यवधान**)

[At this stage the hon. Members left the chamber.]

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : सभापति महोदय, विभिन्न प्रदेशों ने कुछ जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में सम्मिलित करने की मांगें पिछले दिनों से सरकार के सामने रखी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कल्याण मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए सरकार के सामने क्या मांग विचाराधीन हैं और वे कौन कौन सी जातियां हैं जिनके बारे में सरकार के सामने मांगें विचाराधीन हैं। दूसरा यह कि उनको अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में सम्मिलित करने के लिए जिसको पिछली सरकार ने नहीं किया था वर्तमान सरकार क्या उनको अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने का कोई उपाय करने का विचार रखती है।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, इन्होंने जो प्रश्न किया है उसमें जो ग्रुप आफ मिनिस्टर्ज की बैठक हुई थी और उन्होंने जो कैबिनेट के सामने सिफारिश की थी उसमें चार मुद्दे मुख्य रूप से रखे थे जिसमें इनक्लूजन आफ न्यू कास्ट्स और ट्राइब्स जो नयी अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं उनको सम्मिलित करना या नयी लिस्ट बनाना, रिइम्पोज़िशन आफ एरिया रिस्ट्रिक्शस के संबंध में, तीसरा था कुछ जातियां जिनको अपमानजनक शब्दों के नाम से पुकारा जाना है उनको बदलना और कुछ अनुसूचित जातियों के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमको अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। यह चार सिफारिशें दी थीं लेकिन जैसे मैंने कहा कि केबीनेट ने उस समय उसपर कोई विचार नहीं किया। अब हम लोग उसको नये सिरे से देखेंगे।

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: Sir, the first Presidential Order on the Scheduled Castes and

Scheduled Tribes was passed in 1950. Since then there have been various proposals from various States either to include certain castes in the list of Scheduled Castes and Scheduled Tribes or to delete some castes. This has been a continuous process. I want to know from the Minister whether there is any proposal to revise the entire lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes or whether they are going to consider deletion or inclusion as and when there is such a proposal.

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, जहां तक किसी जाति को निकालने का प्रश्न है, वह सरकार की नीति नहीं है। लेकिन जहां तक कुछ जातियों को सम्मिलित करने का मामला है, उसके संबंध में मैंने प्रोसेस बतला दिया है हम विचार कर रहे है ।

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr. Kulkarni.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, according to the reply of the Minister, any amendment to the list must come to Parliament. That everybody knows. It has to come to Parliament and it is not a new reply. I want to know from the honourable Minister whether he is aware that apart from the Report of Dr. Kalelkar, there was also a letter written by Dr. Kalelkar himself stating that apart from the report he had got his own personal views and that the economic backwardness of various communities was also an important aspect of the question of assistance to the backward communities. I think the new Minister must be aware of this. Sir, in Maharashtra, there are various tribes and there is this community, the Dhangar community. Dhangar community is a very large community in Maharashtra. You may not be knowing the exact number of the people of that community now. Perhaps you might get that information later. But this community forms a large chunk of voters in the Lok Sabha as well as the Assembly segments. So, the Maharashtra Government is very much concerned about this and to solve this problem you have to accept the economic backwardness whereby all these problems like minorities, etc. can be taken care of once and for all. And, Sir, this Government has to come out saying that this is the only solution for all these problems. Now there are agitations going on for employment, against reservation, etc. and the students and the police are involved.

MR. CHAIRMAN: Where is your question? What is your question?

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, I want to know one thing. With regard to this Dhangar community, they may say that the question has to be go through the parliamentary procedure. Then let them bring it. You ask the State Government to send the proposal and we will support it. I say this because this is a very important question of a community in Maharashtra which is neglected.

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी इन्होंने धनगर के संबंध में कहा है धनगर के संबंध में हमने राज्य सरकार से मांगा था और आप जानते हैं कि किसी भी स्टेट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो सूची बनती है वह उस राज्य की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के आधार पर बनती है और यही कारण है कि एक राज्य में जो शिड्यूल्ड कास्ट में हैं वे दूसरे राज्य में शिड्यूल्ड कास्ट की सूची में नहीं होते हैं । तो अलग अलग राज्य की परिस्थिति के मुताबिक है । अतः सरकार एक नियम या कायदे कानून से बंधी हुई है । हमने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी कि ये दोनों एक ही जाति हैं, धांगर और धनगर या अलग अलग हैं । जवाब आया कि अलग अलग हैं। हमने पूछा कि इसके संबंध में विचार किया जा सकता है कि नहीं तो महाराष्ट्र

सरकार ने कहा कि इस पर विचार नहीं किया जा सकता है । तो हम क्या कर सकते हैं ।

SHRI A. G. KULKARNI: I asked you a specific question about economic backwardness. What is your Government's view on economic backwardness?... (*Interruptions*)...

SHRI RAM VILAS PASWAN: How does this question arise out of the main question, Sir? (*Interruptions*)

वह सवाल इसमें से कहां उठता है ।

SHRI A. G. KULKARNI: Naturally, it comes. It comes because it is a question of backward communities and the Dhangar community is a backward community. Agitations are going on now... (*Interruptions*)... . Why are you afraid of spelling out your Government's view?... (*Interruptions*)... You are afraid of spelling out your Government's view... (*Interruptions*)... Mr. Devi Lal is sitting here... (*Interruptions*)...

SHRIMATI MARGARET ALVA: Mr. Devi Lal is here. You spell out your Government's view on this... (*Interruptions*)...

SHRI A. G. KULKARNI: Mr. Devi Lal says "economic backwardness" and you say you do not know... (*Interruptions*).

SHRI DIPEN GHOSH: You put your question to the Government of Maharashtra... (*Interruptions*)...

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, I have asked a specific question...

MR. CHAIRMAN: Yes, you have asked.

SHRI A. G. KULKARNI: ...whether economic backwardness can be accepted by this Government because the Deputy Prime Minister himself has started that... (*Interruptions*)... Mr. Yashwant Sinha, you have also to behave very creditably to support my contention... (*Interruptions*)... You know that your Deputy Prime Minister has said that economic criterion should be adopted. Here the Minister says he cannot answer.

श्री राम विलास पासवान : मैं किस नियम के तहत इसका जवाब दूं । (**व्यवधान**)

सभापति जी, मैं कोई चीज सदन से छिपाना नहीं चाहता हूं । मैंने सारी चीज बतला दी है । लेकिन जो माननीय सदस्य प्रश्न का जवाब चाहते हैं, इस प्रश्न में आर्थिक मामला कहां उठता है । यह तो प्रोसीजर का मामला है, जो मैंने बतला दिया है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: माननीय सभापति जी, एक कोल जाति है जो अनुसूचित जन-जाति में है। कुछ प्रदेशों में कोल जाति को अनुसूचित जन-जाति को कैटेगरी में रखा गया है और उत्तर प्रदेश में कोल-जाति को उस अनुसूचित जनजाति में नहीं रखा गया है । उत्तर प्रदेश में बांदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर या इसके आसपास के जो जिले है, यहां पर कोल अनुसूचित जन-जाति के बहुत लोग रहते है ।

तो बहुत दिनों से मांग चली आ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी केन्द्र सरकार को इस संबंध में लिख रखा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि जो कोल जाति है अनुसूचित जनजाति की, इसको कब तक यानी किसी निर्धारित तिथि के अंदर यह सरकार उन जिलों को उत्तर प्रदेश में शामिल करेगी अथवा नहीं ?

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, इसमें जो नियम है, वह मैंने बतलाया । अब जैसे बहुत सी जातियां हैं, वाशरमैन बिहार, उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट्स में है, पर गुजरात में शेड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं है । तो उस राज्य की स्थिति के मुताबिक बनाया गया है । दिक्कतें आ रही हैं, इसमें सही दिक्कतें भी हो सकती हैं । लेकिन उसमें मैंने कहा कि एक बार,

पहली बार जब नोटिफिकेशन होता है, तो मैंडेट करता है ।

दूसरी बार जब उसको चेंज करना होता है, तो फिर वह पार्लियामेंट में कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के भ्रू जाना पड़ता है और उसके लिए मैंने कहा कि दिक्कतें मंत्रालय द्वारा सुनी जा रही हैं । उसका जो प्रोसेस है, यदि उस जाति के लोगों ने एप्लीकेशन दिया होगा, तो निश्चित रूप से उस पर विचार होगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं एक सीमा पूछ रहा हूं, क्योंकि इस तरीके का जवाब पिछले चार साल से हमको मिल रहा है।

श्री राम विलास पासवान : असल में जो पिछले चार साल की सरकार थी, वह इस तरीके से जवाब देती थी, तो हम उसमें अभी क्या कर सकते हैं ?

Overcrowding in the suburban Railways in Metropolitan Cities

*3. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Suburban Railways in the Metropolitan cities are overcrowded causing considerable difficulties to the commuters; and

(b) if so, what steps Government propose to take to improve those Suburban railway services?

THE MINISTER OF RAILWAYS SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Yes, Sir, there is overcrowding at peak hours.

(b) Improvement in Suburban train services is a continuous process within the availability of resources.

SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Sir, the answer given by the hon. Minister is not an answer at all. It is very vague. The problem of overcrowding in metropolitan cities and its impact on transport system is a phenomenon which has eluded solution due to constraints of funds. A new bold and uneconventional approach is called for.

I understand that the State Government of Maharashtra has recently made certain proposals in this regard about Bombay Suburban Railway Transport. Sir, I would like to ask the hon. Minister whether the proposal of IRCON and BMRDA for converting four hectares of Railway land at Bandra for use of a commercial Complex would we approved by the Government and whether the Government would re-examine the policy of making Urban Development Ministry as the nodal Ministry for transport plans in metropolitan cities.

SHRI GEORGE FERNANDES: The Urban Development Ministry is already the nodal Ministry for deciding all transportation matters in urban cities. So far as the other question about the use of land for commercial purposes is concerned, I do not know how it is going to resolve the immediate problem of overcrowding in trains.

SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: The Minister has said in his answer that improvement in Suburban train services is a continuous process within the availability of resources. So, these are resources. If you get resources and funds, then you can improve the transport system also. Sir, now I come to my second supplementary. I would like to ask the hon. Minister whether the Government is aware that an 'Identification Mission' of the World Bank has made certain recommendations which *inter alia* sought to put a precondition that the Bombay Metro-Transport Project-II should have a committed plan for expenditure on Suburban rail projects, if so, what does the Government propose to do about it? Also, I would like to know